(क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया मानदंड क्या है;

(ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किये गये व्यक्तियों की संख्या अब तक, राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या संवतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन अभी भी सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा भविष्य में लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) : केन्द्रीय “स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980” के अंतर्गत पात्रता के मापदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम छह महीने का कारावास/झेली गई भूमिगत यातना (महिलाओं और अ.जा./अ.ज.जा. के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में तीन माह), न्यूनतम छह महीने के लिए घर में नजरबंदी/जिले से निर्वासन, सम्पत्तियों की कुर्की, हमेशा के लिए अक्षमता अथवा नौकरी का छूटना, जो कि किसी दावाकर्ता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में झेली हो, शामिल है।**

**(ख) : स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के शुरु होने के समय से ही, दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक लगभग 1.71 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है। 31 जुलाई, 2012 तक उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की राज्य-वार संख्या, जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है, का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।**

**(ग) से (ड.) : स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी के दावों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। हैदराबाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के संबंध में सम्मान पेंशन स्वीकृत किए जाने संबंधी आवेदनों से संबंधित आंध्र प्रदेश सरकार की 168 पुन: सत्यापन रिपोर्टों को छोड़कर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से प्राप्त समर्थनकारी दस्तावेजों सहित सम्मान पेंशन स्वीकृत संबंधी कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। पेंशन स्वीकृति संबंधी पात्रता मानदंड पूरा करने वाले हैदराबाद स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए सम्मान पेंशन स्वीकृत किए जाने के बारे में आवेदनों सहित इन पुन: सत्यापन रिपोर्टों पर प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। हैदराबाद स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए सम्मान पेंशन स्वीकृत किए जाने से संबंधित इन लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।**

अनुलग्नक **– I**

**दिनांक 29 अगस्त, 2012 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के शुरु होने के समय से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों, जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है, की संख्या की राज्य-वार सूची:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों की संख्या (दिनांक31.07.2012 की स्थिति के अनुसार)** |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 15251 |
| 2 | असम | 4441 |
| 3 | बिहार और | 24883 |
| 4 | झारखंड |  |
| 5 | गोवा | 1505 |
| 6 | गुजरात | 3599 |
| 7 | हरियाणा | 1688 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 627 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 1807 |
| 10 | कर्नाटक | 10100 |
| 11 | केरल | 3394 |
| 12 | मध्य प्रदेश और | 3480 |
| 13 | छत्तीसगढ़ |  |
| 14 | महाराष्ट्र | 17960 |
| 15 | मणिपुर | 62 |
| 16 | मेघालय | 86 |
| 17 | मिजोरम | 4 |
| 18 | नागालैंड | 3 |
| 19 | ओडिशा | 4195 |
| 20 | पंजाब | 7028 |
| 21 | राजस्थान | 814 |
| 22 | तमिलनाडु | 4120 |
| 23 | त्रिपुरा | 888 |
| 24 | उत्तर प्रदेश और | 17999 |
| 25 | उत्तराखंड |  |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 22515 |
| 27 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3 |
| 28 | चंडीगढ़ | 91 |
| 29 | दादरा और नगर हवेली | 83 |
| 30 | दमण और दीव | 33 |
| 31 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 2046 |
| 32 | पुदुचेरी | 318 |
| 33 | इंडियन नेशनल आर्मी (आई.एन.ए.) | 22468 |
|  | **कुल** | **1,71491** |